न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण संख्या 56/2025

रामकिशन बनाम मोहरसिंह व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.07.2025	अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री छोटेलाल मीना उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 श्री सतीश कुमार पारीक उपस्थित। उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर. एक्ट बाबत् पत्थरगढी प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन है। प्रार्थी उक्त भूमि का पडौसी खातेदार है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थी को बिना पक्षकार बनाये ही प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रकरण में प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र आर्डर 1 रूल 10 व 151 जा. दी. बाबत् प्रकरण में पक्षकार बनाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया है जो विचाराधीन है, परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने पीठासीन अधिकारी उप जिला कलक्टर सिकराय से मिलीभगत कर रखी है तथा प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को पीठासीन अधिकारी के आवास व चैम्बर पर मिलते जुलते देखा है तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 भी सरेआम कहते फिरते है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आर्डर 1 रूल 10 को खारिज करवायेंगे। प्रार्थी विवादित भूमि का पडौसी काश्तकार है। इसलिये प्रार्थी के हक हकूक भी निहित है। इसके बावजूद पीठासीन अधिकारी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर शीघ्र से शीघ्र पत्थरगढी करने पर आमादा है। प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी उप जिला कलक्टर सिकराय से न्याय की उम्मीद नहीं है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार कर न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय में विचाराधीन मुकदमा नम्बर 179/2025 उनवानी भंवरसिंह आदि बनाम राज. सरकार अन्तर्गत धारा 128 एल. आर. एक्ट को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण करने के आदेश फरमावे। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण में प्रार्थी द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया गया कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 1 रूल 10 सीपीसी पेश किया गया है जो विचाराधीन है। प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र आर्डर 1 रूल 10 सीपीसी पेश करने के उपरान्त उसका निस्तारण करवाने के बजाय कार्यवाही को रोकने के लिये प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण इस न्यायालय में पेश कर दिया गया है। प्रार्थी द्वारा मात्र प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने एवं अप्रार्थीगण को परेशान करने की नीयत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सिकराय पर लगाये गये आरोप भी मनगढन्त एवं निराधार है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमावे। उपखण्ड अधिकारी सिकराय से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई की जा रही है। प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये आरोप निराधार एवं गलत है फिर भी यदि पत्रावली को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया गया है। हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र आर्डर 1 रूल 10 पेश किया गया है। जिसका निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जाना है। प्रकरण अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने पर प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब होने की स्थिति को मध्यनजर रखते हुये प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार कर बाद पूर्ति अभिलेखागार की जावे। निर्णय आज दिनांक 15..07.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Ramswaroop Chauhan Date: 2025.08.12 12:34:51 IST Reason: SelfAttested (रामस्वरूप चौहान) अति. जिला कलक्टर,दौसा	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official